01 फरवरी 2018

बजट 2018-19
एवं कमोडिटीज

smc
Moneywise. Be wise.

बजट 2018-19 एवं कमोडिटीज

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मोदी सरकार का चौथा आम बजट पेश किया । बजट भाषण में FDI सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि सरल नियमों और ईज ऑफ डूइंग बिजनस का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई निवेश बढ़ा है। बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

- केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था 8% की दर से वृद्धि कर रही है। 2018-19 के दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2 से 7.5% तक रहने की संभावना है ।
- सरकार का संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को उनकी लागत से कम से कम डेढ़ गुना लाभ मिले। हम इसके प्रति संवेदनशील हैं।
- बजट में खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए 63,836 करोड़ रुपए का आवंटन।
- देश में कृषि उत्पादन रेकॉर्ड स्तर पर है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है।
- किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी।
- मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण और कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का फंड बनाने का भी ऐलान किया। मार्केट से फंड जुटा सकेंगे रीजनल रूरल बैंक।
- 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा।
- गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा। कृषि बाजार के विकास के लिए 2,200 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा।
- फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर की वृद्धि दर 8% प्रति वर्ष है । फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
- कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए 42 फ़ूड पार्कों की स्थापना की जाएगी।
- मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर क्रेडिट कार्ड दिए जाने का प्रस्ताव। 10 हजार करोड़ मछली एवं पशु पालन व्यवसाय से जुड़े वर्गों के लिए आवंटित किए जाएंगे।
- ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर आलू प्याज टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू करने का प्रस्ताव, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।
- 1000 से ज्यादा हेक्टेयर वाले क्षेत्रों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ऐसे पौधे जिनका दवाइयों में इस्तेमाल होता हो, उनका भी उत्पादन बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन।
- 585 APMC को eNAM के जरिए जोड़ा जाएगा। यह काम मार्च 2019 तक ही खत्म हो जाएगा।
- जितने गांव हैं उनको कृषि के बाजारों के साथ बढ़िया सड़क मार्गों से जोड़ने की योजना है।
- बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए 1290 करोड़ का राष्ट्रीय बांस मिशन शुरु करने का लक्ष्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को अधिकतम करने पर फोकस।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 57.50 अरब रुपये का आवंटन।
- 96 जिलों में 26 अरब रुपए भूमिगत जल सिंचाई पर खर्च किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीब परिवारों के लिए 2 करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य।
- मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योगों के विकास लिए 3794 करोड़ रुपये का आवंटन।
- मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की राशि लोन के तौर पर देने का लक्ष्य।

smc Moneywise. Be wise.

- वित्त वर्ष 2018-19 में इन्फ्रा पर खर्च होंगे कुल 5.97 लाख करोड़ रुपए।
- स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपए का ऐलान।
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन करने का ऐलान किया रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन| इस साल 700 नए रेल इंजन और 5160 नए कोच तैयार किए जाएंगे और 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा।
- भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 5.35 लाख करोड़ की लागत से 35000 किमी सड़क निर्माण करने का लक्ष्य।
- बिटक्वाइन जैसे क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने के लिए उपाय करने का प्रावधान।
- गोल्ड मनीटाइजेशन स्कीम और गोल्ड के लिए जल्दी ही होगा नई व्यापक नीति का ऐलान। इससे सोने को लाने और ले जाने में आसानी होगी।
- टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7,148 करोड़ रुपये का आवंटन।
- उद्योग के लिए 16 अंको जैसा आधार संख्या का प्रस्ताव।
- कृषि उत्पाद तैयार करने वाली 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में 100 पर्सेंट की रियायत।
- 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स।
- डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हुई।
- आय कर में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगी 40,000 रुपये की छूट।
- 1 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटन गेन्स पर देना होगा 10% का टैक्स।
- म्युचूअल फंड्स से कमाई पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा।
- कच्चे काजू पर आयात शुल्क 5% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव ।

smc Moneywise. Be wise.

Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park , A Wing 401 / 402 ,
4th Floor ,Graham Firth Steel Compound,
Off Western Express Highway, Jay Coach Signal,
Goreagon (East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-28805606

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani,
Poddar Court,Gate No.- 4, 5th Floor, Kolkata-700001
Tel: 91-33-39847000, Fax: 91-33-39847004

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवायें और संबंधित सेवायें करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसई(मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमट्रेड नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल(CDSL) और एनएसडीएल(NSDL)के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई(AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनॉलिस्ट)रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनॉलिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिक्योरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नही किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनॉलिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हे सत्य माना जाना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नही देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनॉलिस्ट, जिन्होने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्त्ता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नही हैं। यह केवल प्राइवेट सर्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नही और इस पर पूरी तरह भरोसा नही किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नही किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुन: वितरण नही किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नही करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वितीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नही चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते है एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारन्टी नही देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।